



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06042022-234856
CG-DL-E-06042022-234856

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1543]

नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 5, 2022/ चैत्र 15, 1944

No. 1543]

NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 5, 2022/CHAITRA 15, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 अप्रैल, 2022

का.आ. 1612(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से, उड़ीसा राज्य के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 57 के सुवर्णपुर जिले में कि.मी. 50/250 से 50/850 और बौद्ध जिले में कि.मी. 51/435 से 51/600 तक "राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 57 के कि.मी. 51/200 के तेल नदी पर एचएल प्रमुख पुल का पुनर्निर्माण" कार्य हेतु उक्त अनुसूची के स्तम्भ (4), (5), (6) और (7) में क्रमशः उल्लिखित राज्य, जिलों, तालुकों और गांवों से सम्बन्धित उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट भूमि के सम्बन्ध में अनुसूची के स्तम्भ (2) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम अधिकारियों के कृत्यों का निष्पादन करने के लिए एतद्वारा सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

उड़ीसा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-57 पर भूमि का अधिग्रहण।

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	आसिस्टेंट कलेक्टर,	राष्ट्रीय राजमार्ग	उड़ीसा	बौद्ध	कण्ठमाल	1 सुवर्णपाली

	कलेक्टोरेट, बौद्ध	संख्या NH57 के कि.मी. 51.435 से 51.6 तक				2	मनमुंडा
--	----------------------	---	--	--	--	---	---------

[फा. सं. RO/BBSR/11017/LA/97/2016]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th April, 2022

S.O. 1612(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule relating to state, districts, taluk and villages mentioned in column (4), (5), (6) and (7) respectively of the said Schedule for construction of approach road from Km. 50/250 to 50/850 in Subarnapur District and from Km. 51/435 to 51/600 in Boudh District connection with the work "Re-construction of HL major bridge across Tel river at Km. 51/200 of NH-57" in the State of ODISHA.

SCHEDULE

Land acquisition on National Highway No. 57 in the State of ODISHA.

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village				
1	2	3	4	5	6	7				
1	Assistant Collector, Collectorate, Boudh	51.435KM To 51.6KM	ODISHA	BOUDH	Kantamal	<table><tr><td>1</td><td>Subarnapali</td></tr><tr><td>2</td><td>Manamunda</td></tr></table>	1	Subarnapali	2	Manamunda
						1	Subarnapali			
2	Manamunda									

[F. No. RO/BBSR/11017/LA/97/2016]

RAJESH GUPTA, Director